न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 287/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. गिरधारी राम पुत्र श्री हीराराम 2. चतुराराम पुत्र श्री हीराराम 3. खेमाराम पुत्र श्री हीराराम 4. गोरधनराम पुत्र श्री हीराराम 5. मगाराम पुत्र श्री हीराराम 6. देवाराम पुत्र श्री हीराराम जातियान–जाट, निवासीगण पोलाणियां की ढाणी,(साजटा) तहसील व जिला बाड़मेर		1. जगमाल राम पुत्र खंगारराम 2. चौखाराम पुत्र खंगारराम 3. जालाराम पुत्र खंगारराम 4. सिदाराम पुत्र लिखमाराम 5. कोजाराम पुत्र टीकमाराम 6. भगाराम पुत्र टीकमाराम 7. जुंझाराम पुत्र मुकनाराम 8. किशनाराम पुत्र निरमाराम 9. पूनमाराम पुत्र जालूराम जातियान–जाट, निवासीगण पोलाणियां की ढाणी, (साजटा) तहसील व जिला बाड़मेर

अपील अंतर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम बविरूद्व आदेश दिनांक 09.11.2021, जो उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 108/2021 बअनवान जगमालराम व अन्य बनाम सिदाराम वगैरा में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री के0सी0 चौधरी, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री कंवराराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 9 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 10 नवम्बर,2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर के न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर मौजा–पोलोणियों की ढाणी, तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा नं0 538 रकबा 0.06 बीघा किस्म गैर मुमकिन खसरा नं0 594/539 रकबा 185 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी सोयम में आयी है। उक्त उपरोक्त खातेदारी खेतो के सेढओं पर विप्रार्थीगण के खेत आयें हुए है तथा विप्रार्थीगण के खेतों के बीच कोई सीमाचिन्ह अंकित नहीं होने से विप्रार्थीगण बरसात के दिनों में काश्त के समय प्रायः प्रार्थी के खेत की सीमा को तोडकर प्राथी के खेत के अंदर आ कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करते है जिससे प्रार्थी अपने खेत की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है। विप्रार्थीगण मौके पर दखलअंदाजी कर विवाद खडा कर देते है। इस संबध में हल्का पटवारी व भू0अ0निरीक्षक से कई बार नेखमबंदी हेतु निवेदन किया किन्होने न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश करने का सुझाव दिया जिस पर आवेदन पेश कर खेत खसरा नं0 594/539 रकबा 185 बीघा 18 बिस्वा बीघा भूमि की नेखमबंदी करने की प्रार्थना की। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के नोटिसेज मूल आवेदन के विप्रार्थीगणों रेस्पो. सं0 04 से 09 तक जारी किया गया। नोटिस की तामील व्यक्तिगत

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रूप से नहीं हुई, के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विप्रार्थीगण की तामील मानते हुए एवं उनके अनुपस्थिति के आधार पर उनके विरूद्व दिनांक 09.11.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए आवेदन को स्वीकार करते हुए मौजा पोलोणियों की ढाणी, पटवार सर्किल सांजटा तहसील व जिला बाडमेर खेत खसरा नं0 594/539 रकबा 185 बीघा 18 बिस्वा बीघा भूमि पर नेखमबंदी का आदेश प्रदान कर दिया गया है जिसकी अपीलांट को किसी भी रूप में जानकारी नहीं हो पायी। हाल ही में मौके पर कुछ राजस्व कर्मचारी पटवारी वगैरा आये और नाप चौक करने लगें तब जानकारी होने पर दिनांक 03.06.2022 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपील तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश की गई है।

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2021 विधि के मूलभूत सिद्वांतों एवं प्राकृतिक न्याय के सिंद्वातों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्त के है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोंडेट सं0 01 ता 03 ने अपने आवेदन में पडौसी खेत के खातेदारो के विरूद्व बेबुनियादी आक्षेप लगाया है जबकि अपीलांट संख्या 01 से 03 भी पडौसी खेत खसरा नं0 594/539 रकबा 185 बीघा 18 बिस्वा बीघा भूमि का खातेदार है और मूल आवेदन मे विप्रार्थी सं0 04, 05, और 06 सगे भाई है लेकिन रेस्पोंडेट सं0 01 से 03 ने जानबूझकर आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया है जिससे अपीलांट अपना पक्ष पेश नहीं कर सका है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन किया जावे तो किसी भी विप्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब का अवसर नहीं दिया गया है। ऐसे में प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतया एकपक्षीय जो आदेश किसी भी दृष्टि से विधिसम्मत नहीं है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोंडेट सं0 01 से 03 द्वारा आवेदन दिनांक 05.07.2021 को पेश किया उसे उसी रोज दर्ज कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया है एवं आगामी तारीख पेशी 09.11.2021 की वास्ते तामिल व जवाब नियत कर दी गयी है उस रोज दिनांक 09.11.2021 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनावश्यक जल्दबाजी दिखाते हूए विप्राथीगण द्वारा नोटिस की तामिल मानकर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर सीधे ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया। जबकि न्याय का मूलभूत सिद्वांत है कि जब किसी पक्षकार पर नोटिस की तामिल विधिवत रूप से हो भी जाती है तो उसे व्यक्तिगत रूप से न्यायहित में जवाब हेतु एक अवसर प्रदान किया जाता है और न्यायहित में एक अंतिम अवसर फिर प्रदान किया जाता है उसके बाद ही अनुपस्थिति की सूरत मे एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी पेशी पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में अपीलांट को प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित, वाजिब व न्यायसंगत था, इस कारण से आलौच्य आदेश निरस्त योग्य

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सम्पूर्ण सामग्री का विवेचन किये बिना आनन फानन में सरकारी तौर पर पारित किया गया है जो पूर्णतया मनमाना, स्वैच्छाचारी व विकृत आदेश है साथ ही साथ नोन–स्पीकिंग आदेश की परिधि में आता है। जबकि न्यायालय द्वारा किसी भी मामले में आदेश पारित करने पर विवाद की प्रत्येक विषयवस्तु के संबध में अपना विधिसम्मत निष्कर्ष दिया जाना प्रकट नहीं है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि न्यायालय हाजा के समक्ष अपील विधि द्वारा निर्धारित समय सीमा से देरी से पेश की जा रही है जिसकी सद्भाविक वजह रही है। अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय में पेश प्रकरण में हालांकि पक्षकार मुकदमा नहीं था, लेकिन प्रश्नगत आदेश से अपीलांट जाहिरा तौर पर प्रभावी है, इसलिये उसकी ओर से यही अपील पेश की जा रही है, जिसकी अनुमति हेतु पृथक से आवेदन पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन सं 108/2021 जगमालराम बनाम सिदाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.11.2021 को अपास्त फरमाया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 9 के अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया कि रेस्पो0/प्रार्थीगण के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 538 रकबा 0.06 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 594/539 रकबा 185 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी सोयम मौजा पोलाणियों की ढाणी पटवार हल्का सांजटा तहसील व जिला बाडमेर में आये हुए है। प्रार्थीगण के खेत के चारों ओर पुराने सेढे बने हुए है। पडौसी खातेदारान उक्त सेढो को तोडने की कोशिश करते रहते है। जिससे प्रार्थीगण का विप्रार्थीगण के साथ हमेशा सीमा बाबत विवाद बना रहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खेत खसरा नम्बर 538 रकबा 0.06 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 594/539 रकबा 185 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी सोयम मौजा पोलाणियों की ढाणी पटवार हल्का सांजटा तहसील व जिला बाडमेर की पक्की नेखमबंदी करने का आदेश फरमावें। उक्त प्रार्थनापत्र के साथ में जमाबन्दी व नक्शा पेश किया गया।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थीगण/पडौसी सहखातेदारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये। परन्तु उक्त अप्रार्थीगण बावजूद तामीली के अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण की पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान' के ग्राम पंचायत मुख्यालय सांजटा में रखी जाकर रेस्पो0 के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए रेस्पो0 की खातेदारी के खेत खेत खसरा नम्बर 538 रकबा 0.06 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 594/539 रकबा 185 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी सोयम मौजा पोलाणियों की ढाणी पटवार हल्का सांजटा तहसील व जिला बाडमेर की पक्की नेखमबंदी करने का आदेश जारी किये गये है, जो विधि अनुकूल एवं उचित प्रतीत होते है।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्टस अपनी खातेदारी के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

खसरान वाली कृषि भूमि की जानवरों से सुरक्षा/बचाव हेतु एवं पडौसी खातेदारों से सीमाओं सम्बन्धी कोई विवाद न हो, इसके कारण ही पत्थरगढी नेखमबन्दी करवाये जाने हेतु उक्त प्रकिया अपनाई गई थी। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2021 की पालना में दिनांक 16.05.2022 को तहसील कार्यालय की ओर से पालना कर दी गई है। इसके अतिरिक्त सब पक्षकारान की सहमति से ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित की गई थी। अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 09.06.2022 को अपील पेश की गई तथा न्यायालय हाजा की ओर से जारी स्थगन आदेश के बाद पत्थरगढी के पत्थर अपीलान्टस के द्वारा तोड दिये गये थे, ऐसे में अपीलान्टस के द्वारा स्थगन आदेश की अवहेलना की गई है। अपीलान्टस के द्वारा बिना किसी ठोस आधार व कथन अंकित करते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई है जो अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश विधि अनुकूल होने से यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया। अपीलान्टस के द्वारा अपनी अपील में मुख्य आपत्ति यह प्रकट की है कि अपीलाधीन प्रकरण में रेस्पो0 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत ख0सं0 594/539 रकबा 185 बीघा 18 बिस्वा भूमि की नेखमबन्दी करवाने हेतु आदेश दिये जाने से पूर्व उन्हें नोटिस व सुनवाई का प्रदान नहीं किया गया है जबकि वे उक्त खसरान भूमि के पडौसी खातेदार/काश्तकार है। हितबद्ध काश्तकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान व तदुपरान्त पत्थरगढी किया जाना विधि सम्मत है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को नोटिस तामील करवाते हुए, दोनों पक्षों की उपस्थिति में विधिवत अपीलाधीन वर्णित खसरान रकबा भूमि का पुनः सीमांकन किया जाकर नियमानुसार पत्थरगढी सम्बन्धी कार्यवाही की जावे। निर्णय आज दिनांक 10 नवम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर